(15)

COURT FEE INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE INDIA भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र /2017 पुनरीक्षण R 1155-पी-17

1. बेबा गनेशिया पत्नी स्वामीदीन पटेल
2. बासुदेव पिता स्वामीदीन पटेल
3. रामकन्हाई पिता स्वामीदीन पटेल

सभी निवासीगण ग्राम सेमरा पो. बीदा तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना
.... आवेदकगण

श्री मुकेश भार्गव एडवोकेट द्वारा आज दि. 13-4-17 को प्रस्तुत
13-4-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. धीरेन्द्र सिंह पुत्र रामस्वरूप पटेल
2. शिवराम पुत्र रामस्वरूप पटेल

दोनों निवासी ग्राम सेमरा पो. बीदा तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना (म.प्र.)
.... अनावेदकगण

मुकेश भार्गव
13-4-17 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय नायब तहसीलदार रामपुर बाघेलान जिला सतना (म.प्र.) द्वारा प्र. क्र. 21–ए–70/16–17 में पारित आदेश दिनांक 07.04.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, आवेदकगण आराजी नं. 258/2 रकवा 0.103 है0 भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी है। उक्त आराजी से लगी हुई आराजी नं. 257/3 रकवा 0.073 है0 भूमि के भूमिस्वामी अनावेदकगण है।

3– यह कि, आवेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व कब्जे दखल कीग्राम सेमरा की आ. नं. 258/2 रकवा 0.103 है0 के अंश रकवा 10 बाई 40 वर्ग फिट दक्षिणी एवं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1155–दो/17 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02–05–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित होकर नायब तहसीलदार रामपुर बाघेलान जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 21/अ–70/2016–17 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 7.4.17 के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में पस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि आवेदकगण की आराजी न0 258/2 रकवा 0.103 है0 भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी हैं। उपरोक्त भूमि से लगी हुई आराजी न0 257/3 रकवा 0.073 है0 भूमि के भूमिस्वामी अनावेदकगण हैं । उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व कब्जे दखल की ग्राम सेमरा की आराजी न0 258/2 रकवा 0.103 है0 के अंश रकवा 10 बई 40 वर्ग फिट दखिणी एवं पूर्वी भाग में अनावेदक द्वारा जबरी मकान का निर्माण, पिलर बनाकर कराने लगे हैं जिसे बंद कराने हेतु तहसीलदार न्यायालय में आवेदकगण ने आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.1.17 को स्थगन भी जारी किया गया था। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक	

की निगरानी स्वीकार की जावे।

3—आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि अनावेदकगण की भूमि· 257/3 रकवा 0.073 है0 है दोनों की भूमियां अगल बगल की है। पूर्व से मकान बने हुये है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अनावेदक पुराना मकान गिराकर नये मकान का निर्माण कार्य कर रहा है।

4— उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी की रिपोर्ट मगांकर ही नायब तहसीलदार रामपुर बाघेलान जिला सतना द्वारा पूर्व में दिया गया स्थगन निरस्त किया गया है और प्रकरण में पेशी दिनांक 28.4.17 नियत की गई है, वहां पर भी आवेदक को अपना पक्ष रखने का तथा अनुतोष मिलने का अवसर प्राप्त है। अतः नायब तहसीलदार रामपुर बाघेलान जिला सतना के प्रकरण कमांक 21/अ—70/2016—17 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 7.4.17 हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

सदस्य